No.28034/2/97~Estt.(A)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
(Department of Personnel & Training)

.

New Delhi, the 12th June, 1997

OFFICE MEMORANDUM

Sub:- Posting of husband and wife at the same station.

The undersigned is directed to say that on the subject mentioned above, Government had issued detailed guidelines vide OM No. 28034/7/86-Estt.(A) dated 3.4.86. The Fifth Central Pay Commission has now recommended that not only the existing instructions regarding the need to post husband and wife at the same station need to be reiterated, it has also recommended that the scope of these instructions should be widened to include the provision that where posts at the appropriate level exist in the organisation at the same station, the husband and wife may invariably be posted together in order to enable them to lead a normal family life and look after the welfare of the children, especially till the children are 10 years of age.

- The Government, after considering the matter, has decided to accept this recommendation of the Fifth Central Pay Commission. Accordingly, it is reiterated that all Ministries / Departments should strictly adhere laid down to the guidelines in OM 28034/7/86-Estt.(A) dated 3.4.86 while deciding on the requests for posting of husband and wife at the same station and should ensure that such posting invariably done, especially till their children are 10 years of age, if posts at the appropriate level exist in the organisation at the same station and if no administrative problems are expected to result as a consequence.
- 3. It is further clarified that even in cases where only the wife is a government servant, the concession elaborated in para 2 of this O.M. would be admissible to the government servant.
- 4. These instructions would be applicable only to posts within the same department and would not apply on appointment under the Central Staffing Scheme.

- 5. A copy of this Department's OM No. 28034/7/86-Estt.(A) dated 3.4.86 is enclosed for ready reference and guidance.
- 6. Hindi version of the OM is enclosed.

main de s - 1.

(Harinder Singh)
Joint Secretary to the Govt. of India
Tel.No. 301 1276

To

- (1) All Ministries / Departments of the Government of India.
- (2) Department of Women & Child Development.
- (3) The National Commission for Women, 4, Deendayal Upadhyay Marg, ITO, New Delhi.

सै0-28034/2/97-स्थापना कि भारत-परकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन-मंत्रालय हेकार्मिक और प्रशि**क्षण** विभाग§

नई दिल्ली. दिनांक जून 12 . 1997

विषय:- पति और पत्नी की एक ही स्टेशन हुस्थान ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर सरकार ने दिनाक 3.4.86 के कार्यालय ज्ञापन स0-28034/1/86-स्था० इक हारा व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए थे। पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने अब यह सिफारिश की है कि पति और पत्नी को एक ही स्टेशन पर तैनात करने के सबंध में केवल मौजूदा अनुदेशों को ही दोहराए जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता है कि इन अनुदेशों का दायरा इस उपवध को शामिल करने के प्रयोजन से और ज्यादा व्यापक बनाया जाए कि एक ही स्टेशन पर जहां किसी संगठन में उपयुक्त स्तर के पद विधमान हो तो वहा पति और पत्नी दोनों को निरपवाद रूप से एक साथ तैनात किया जाए ताकि वे अपना पारिवारिक जीवन आराम से व्यतीत कर सकें तथा अपने बच्चों. विशेषकर 10 वर्ष की आय तक के बच्चों की देखभाल कर लकें।

- सरकार ने इस मामले पर विचार करने के बाद पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की यह सिफ़ारिश स्वीकार करना तय किया है। तद्नुसार, यह दोहराया जाता है कि तभी मैदालय/विभाग पति और पत्नी की एक ही स्थान पर साथ-ताथ तैनाती के अनुरोधों पर निर्णय करते समय दिनांक 3.4.1986 के कार्यालय ज्ञापन स0-28034 /1/86-स्था0 कु में दिए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें और यह जुनिश्चित करें कि यदि सँगठन में एक ही स्थान पर उपयुक्त स्तर के पद हो और पति-पत्नी दोनों की उसी संगठन में एक ही स्थान पर तैनाती के परिणामस्वरूप किसी प्रशासनिक कठिनाई की आश्रांका नहीं हो तो, ऐसी तैनाती, विशेषत: जब तक कि उनके बच्चे 10 वर्ष के नहीं हो जाए, निरपवाद रूप ले, की जाए 1
- आगे यह स्पट्ट किया जाता है कि जिन मामलों में केवल पत्नी ही सरकारी कर्मवारी हो उनमें भी इस कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 में प्रतिपादित रियायत, उपर्युक्त सरकारी कर्मचारी को देय होगी ।
- ये अनदेश केवल संबंधित विभाग के पदों के संबंध में ही लागू होंगे तथा ये केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत नियुक्ति लंबंधी पदों के मामले में लागू नहीं होगे।
- इस विभाग के दिनाक 3.4.86 के कार्यालय ज्ञापन स0-28034/1/86-स्था ० ४ क १ वि पति सुलभ संदर्भ तथा मार्गदर्शन के लिए सलग्न है ।

१ँहरिन्द्र सिंह्रं संयुक्त लचिव, भारत सरकार दूरभाष 3011276

सेवा में.

- भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
- महिला तथा बाल विकाल विभाग। 2.
- राष्ट्रीय महिला आयोग,4-दीनदयाल स्पाध्याय मार्ग,आई टी खो •, 3.